



नगरानी / भिण्ड / भूराजस्व / 2017 / 3517

546

नवीन प्रकरण- 3517/2017

- 1 भगवती प्रसाद पुत्र श्री श्रीराम शर्मा
  - 2 संतोष कुमार पुत्रश्री श्रीराम शर्मा
  - 3 कमलेश शर्मा पुत्र श्री श्रीराम शर्मा
  - 4 राजेश कुमार पुत्र श्री रामप्रकाश
  - 5 सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रकाश
  - 6 मु0दाखश्री बेवा रामप्रकाश
  - 7 पंचमसिंह पुत्र श्री मुलू
  - 8 दिलीप सिंह पुत्र श्री मुलू प्रकाश समस्त निवासी डगर परगना मेहगॉव .....प्रार्थिनी बनाम
- 1 फुलादेवी बेवा श्यामलाल
  - 2 विनोद पुत्र श्यामलाल
  - 3 माताप्रसाद पुत्र श्रीराम शर्मा निवासी डगर परगना मेहगॉव
  - 4 लडैताबाई पत्नी श्री अयोध्याप्रसाद निवासी डगर परगना मेहगॉव ....प्रतिप्रार्थीगण

जगदीश श्रीवत्सव

23.9.17

23.9.17

C-f.  
3/10/17

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत  
माननीय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रकरण  
कमांक 151 / 2015-16 निगरानी माल में  
पारित आदेश दिनांकी 25.07.2017 के निर्णय  
के विरुद्ध निगरानी

श्रीमान जी,


प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, वाके मौजा डगर परगना मेहगॉव जिला भिण्ड में स्थित भूमि के सर्वे कमांक 39, 91, 169, 364, 392, 406, 417, 418, 435, 706, 752, 783, 786, 862, 863, 905, 1028 1032 कुल किता 18 कुल रकवा 6.35हे0 एवं आराजी कमांक 45, 203, 401, 458, 461, 463, 575, 700, 738, 740, 747, 853, 855, 857, 895, 944, 965, 978, 1042, 1033, 525 / 1071 कुल किता 21 कुल रकवा 6.85हे0 भूमि प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थीगणों के सह स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है तथा राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि प्रार्थीगणों एवं प्रतिप्रार्थीगणों के संयुक्त नाम से होकर राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज थी ।

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3517

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.11.18 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	